

कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/वो.-2/2022-23 / 270

दिनांक :- 3-02-23

समस्त पी.ई.ई.ओ./यूसी.ई.ई.ओ.

विषय :- मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफार्म सिलाई की राशि DBT के माध्यम से विद्यार्थियों को भुगतान करने बाबत।

प्रसंग :- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प. 7(0)रास्कूशिप/जय/यूनिफार्म/2022-23/8360 दिनांक 15.12.2022, 8532 दिनांक 22.12.2022 एवं मुख्य लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर का पत्रांक शिविरा-प्रारं/योजना/यूनिफार्म/2022-23/28 दिनांक 30.12.2022 एवं 65 दिनांक 01.02.2023

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफार्म सिलाई की राशि रुपये 200/- प्रत्येक विद्यार्थी हेतु DBT के माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु नीचे लिखे लेखामदों से राशि व्यय करने हेतु समस्त PEEO एवं UCEEO को पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 232 दिनांक 31.12.2022 द्वारा अधिकृत किया गया था। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने अपने प्रासंगिक पत्र के द्वारा पूर्व में जारी बजट के क्रम में अतिरिक्त राशि हस्तान्तरित की गई है अतः नीचे लिखे अनुसार लेखामदों में उपलब्ध कुल प्रावधान से राशि व्यय करने हेतु समस्त PEEO एवं UCEEO को अधिकृत किया जाता है। शाला दर्पण पर विद्यालय स्तर से यूनिफार्म वितरण प्रविष्टि एवं इनको पीईईओ/यूसीईईओ को फॉरवर्ड किया जायेगा, जबकि पीईईओ/यूसीईईओ बिल प्रोसेस मॉड्यूल की पीपीटी के अनुसार पीईईओ/यूसीईईओ बिल प्रोसेस मॉड्यूल की पीपीटी (पूर्व में ही आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है) के अनुसार पीईईओ/यूसीईईओ स्तर पर सिलाई की राशि का बिल जनरेट कर राशि DBT की जानी है। जिलेवार जिन लेखामदों में राशि POOL में उपलब्ध है उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	बजट लेखामद	जिले का नाम	पूर्व में अधिकृत हेतु उपलब्ध राशि	अतिरिक्त अधिकृत हेतु उपलब्ध राशि	कुल अधिकृत हेतु उपलब्ध राशि
1	2202-01-789-07-01 (SF)- 57	CHURU, DAUSA, DHOLPUR, GANGANAGAR, HANUMANGARH, KAROLI.	990.00	1200.00	2190.00
2	2202-01-796-15-01 (SF)- 57	BANSWARA, DUNGARPUR, PRATAPGARH, SIROHI, UDAIPUR.	770.00	900.00	1670.00
3	2202-01-101-09-01 (SF)- 57	AJMER, ALWAR, BARAN, BARMER, BHARATPUR, BHILWARA, BIKANER, BUNDI, CHITTORGARH, JAIPUR, JAISALMER, JALORE, JHALAWAR, JHUNJHUNU, JODHPUR, KOTA, NAGOUR, PALI, RAJSAMAND, SAWAI MADHOPUR, SIKAR, TONK.	3750.00	5000.00	8750.00
		TOTAL	5510.00	7100.00	12610.00

अतः उपर्युक्तानुसार संबंधित जिलों के पीईईओ/यूसीईईओ अधिकृत किये गये लेखामदों से राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्राधिकारी की समस्त विद्यालयों के कक्षा-1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए डीबीटी के माध्यम से यूनिफार्म सिलाई की राशि उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 03-02-2023

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/25577/वो.-2/2022-23/ 270

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोडिंग हेतु।
- समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, संभाग.....।
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिनि समस्त पीईईओ/यूसीईईओ के द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करवाये जाने हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण करें।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर